बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

64

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 66 वीं0 संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों के लिए

आवश्यक सूचना

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 66 वीं0 संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹50,000/–(पचास हजार रूपये) मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. अभ्यर्थी के लिए अहर्त्ता एवं शर्तें:–

(i) बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

(ii) बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में होना चाहिए।

(iii) बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 66 वीं0 संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(iv) किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा।

(v) पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

2. आवेदन की प्रक्रियाः–

(i) विभागीय वेबसाईट–**state.bihar.gov.in/scstwelfare** पर दिनांक–05.06.2021 तक ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की तिथि को विस्तारित किया जाता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएँगे। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगें एवं ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

(ii) निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), स्वयं के नाम के Active बैंक खाता (जिसमें खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0 कोड स्पष्ट रूप से अंकित हों) या हस्ताक्षरित रद्द चेक की Scanned प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

(iii) अभ्यर्थी के पास सक्रिय ईमेल आई–डी होनी चाहिए।

(iv) ऑन–लाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।

(v) यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि–05.06.2021 तक विस्तारित किया जाता है।

- आवेदन करने की प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी विभागीय **वेबसाईट**–state.bihar.gov.in/scstwelfare पर देखी जा सकती है।
- विशेष जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या–0612–2215376 एवं टॉल फ्री न0–1800–345–6345 पर संपर्क किया जा सकता है।

11.5.21

निदेशक ।